राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

कमांक प.12(7) राज/वाद/24 जयपुर, दिनांकः 8/4/24

समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/
प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव।

विषयः– माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा एस. बी.सिविल रिट याचिका संख्या 986/2024 जगदीश चन्द्र अग्रवाल बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 18.03.24 की पालना के सम्बन्ध में।

संदर्भः– संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय की अ.शा.टीप कमांक 2289881 दिनांक 03.04.24

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित अ.शा.टीप के कम में लेख है कि एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 986/2024 जगदीश चन्द्र अग्रवाल बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा दिनाक 18.03.24 को निम्न आदेश पारित किये गये हैं:–

"Taking a serious note of the aforesaid aspect of the matter, this Court directs the Chief Secretary of the State to constitute a "Separate Cell" in each and every Department of the Government of Rajasthan, who would look into the matters of making compliance of the orders passed by this Court, by way of constituting separate Committees/Cells headed by the Principal Secretary of each such Department who shall ensure timely and hassle free disposal of the representations, submitted by the aggrieved persons within a period of two months from the date of receipt of such representations. This Court further directs the Chief Secretary of the State, Principal Secretary and Secretaries of all the Departments to take steps to form such "Redressal Grievance Cell" as early as possible within the period of two months.

The Chief Secretary of the State is further directed to make compliance of this order and submit a compliance report for perusal of this Court within a period of three months from today."

अतः माननीय न्यायालय द्वारा प्रदत्त उक्त निर्देशों की पालना में निर्देशित किया जाता है कि आप अपने–अपने विभागों में प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव की अध्यक्षता में एक शिकायत निवारण प्रकोष्ठ

का गठन करें व विभाग को प्राप्त होने वाले अभ्यावेदन/शिकायत/प्रार्थना पत्रों का प्राप्ति के 02 माह में निस्तारण किया जाना सुनिश्चित करावें।

(ज्ञान प्रकाश गुप्ता)
प्रमुख शासन सचिव,विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय को उनके संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित है।

प्रमुख शासन सचिव,विधि